

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 9 मार्च, 2018


संख्या-1/पी0-415/2006-सा0प्र0- 3253/ श्री सतीश सिंह ठाकुर, मा0प्र0से0(सेवा निवृत्त),(जन्म तिथि- 06.01.1945)को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-860 दिनांक 18.05.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार की अधिसूचना संख्या-10771 दिनांक 23.10.2006 द्वारा संविदा के आधार पर मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। विभागीय अधिसूचना संख्या-11999 दिनांक-15.09.2017 द्वारा श्री ठाकुर की सेवा दिनांक-20.10.2017 के उपरान्त दिनांक-21.10.2017 से 31.03.2018 तक विस्तारित हुई है।

2. 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान को शिथिल करते हुए श्री सतीश सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना की प्रासंगिक सेवा को दिनांक-31.03.2018 के उपरान्त दिनांक-01.04.2018 से 31.03.2019 तक पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तारित की जाती है।

3. श्री ठाकुर की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन रहेंगी।

4. प्रासंगिक संदर्भ की सेवा शर्तें भी पूर्ववत् रहेंगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


9.3.18
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-415/2006-सा0प्र0- 3253 /पटना-15, दिनांक: 9 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(विभागीय आई0टी0 मैनेजर द्वारा)/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार पटना/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9.3.18
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।